Need to give compensation to the family of Delhi-Meerut Expressway accident victims-laid

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सरकार का ध्यान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर घटित एक हृदयविदारक दुर्घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ । 11 जुलाई 2023 को उपरोक्त मार्ग पर गलत दिशा से आ रही एक बस से हुई टक्कर के कारण कार में सवार एक ही परिवार के छह लोगों की मृत्यु हो गयी । आधुनिक तकनीक वाले एक्सप्रेस-वे पर बस चालक ने आठ किलोमीटर तक उलटी दिशा में बस दौडाता रहा, परन्तु NHAI अथवा पुलिस किसी ने उसे नहीं रोका । एक्सेस कंट्रोल वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में बस कैसे चढ़ गई? इस बस के चालक का कुल 15 बार तथा गलत दिशा में बस चलाने के कारण 3 बार चालान हो चुका था । नियमों की निरंतर अवहेलना करने वाले इस बस चालक का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं हुआ । स्कूल बस के नाम से चलने वाली यह सामान्य बस क्यों सीज नहीं हो पाई? इस प्रकार के अनेक प्रश्न इस दुर्घटना के कारण खड़े हो रहे हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त घटना की विस्तृत जांच कराकर दोषी व्यक्ति अथवा एजेंसी को दण्डित किया जाए, पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा दिलाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो ।